स्मरण पत्र/रजि0

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

सेवा में

1. अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, फरीदाबाद–II व III, गुरूग्राम–II तथा पानीपत।
2. उप निर्देशक, औ0 सु0 एंव स्वा0, फरीदाबाद।
3. उप श्रम आयुक्त, फरीदाबाद व पानीपत।
4. सहायक निदेशक, औ0 सु0 एंव स्वा0, पानीपत।
5. सहायक श्रम आयुक्त, मेवात एट नूह।
6. श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला।
7. श्रम कल्याण बोर्ड, सिकन्दरपुर, के/ऑ0 औ0 सु0 एंव स्वा0, मिनी सचिवालय, गुरूग्राम।

कमांकः स्था/03/2018/ 6061-71 दिनांकः 1|2|18

विषयः– **Release of pending payment for outsourcing service provided by public security services in Labour Department, Haryana.**

****

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 22519–29 दिनांक 02.08.2017 के संदर्भ में।

विषय संबंध मे आपको मै0 पब्लिक सिक्योरिटी, हिसार से प्राप्त पत्र दिनांक 08.07.2017 की प्रति भेजते हुये अनुरोध किया गया था है कि मै0 पब्लिक सिक्योरिटी, हिसार द्वारा लम्बित पेमेंट रिलीज करने हेतु अनुरोध किया है। इस फर्म द्वारा विभाग को ठेका आधार पर लिपिक व सेवादार इत्यादि की सेवायें ठेका आधार पालिसी के तहत दिनांक 9.06.2010 से 23.06.2011 तक दी थी । फर्म द्वारा कुछ ठेका आधार कर्मचारियों के खातों में ई0एस0आई/ई0पी0एफ0 की राशि जमा नहीं करवाई थी, इसलिये फर्म के बकाया भुगतान रोकने हेतु सभी सम्बन्धित डी0डी0ओ को कार्यालय पत्र कमांक 32215–54 दिनांक 29.9.11 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये थे, उसके उपरांत फर्म ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि सभी कर्मचारियों के ई0एस0आई/ई0पी0एफ0 का अंशदान उनके खातों में जमा करवा दिया है । अतः आपसे अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त अवधि में आउट सोर्सिंग आधार पर लगे कर्मचारियों का बकाया वेतन, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई इत्यादि बारे वैरिफिकेशन उपरांत फर्म को बकाया राशि का भुगतान अपने स्तर पर करने का कष्ट करें। फर्म को भुगतान करने से पहले यह आवश्यक सुनिश्चित कर ले कि फर्म के विरूद्ध किसी भी कर्मचारी की शिकायत, वेतन ई0पी0एफ0/ई0एस0आई का बकाया राशि न रहे। यदि भविष्य में किसी प्रकार की बकाया राशि की सूचना शिकायत मुख्यालय में प्राप्त हुई तो संबंधित डी0डी0ओज के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इसलिये बकाया राशि का भुगतान करने से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी का पूर्ण विवरण तैयार करके तथा यह वैरीफाई करें कि सभी प्रकार का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया गया है तथा उपरांत भुगतान फर्म को करने का कष्ट करें, तथा उक्त बारे मुख्यालय को भी सूचित करे, परन्तु अभी तक इस बारे आपसे कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है, अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि मामले में पूर्ण रिपोर्ट पत्र प्राप्ती के दो दिन के अन्दर–2 मुख्यालय में भेजे ताकि विभाग अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त हरियाणा कार्यालय में जमा करवा सके।

कृप्या इसे अति आवश्यक समझे, अन्यथा देरी के लिये आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।